पुरुषों और महिलाओं के बीच दोस्ती और प्यार

﴿ الصداقة والعشق بين الرجل والمرأة ﴾

[हिन्दी - Hindi - هندي]

मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ الصداقة والعشق بين الرجل والمرأة ﴾

« باللغة الهندية »

محمد صالح المنجد

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

पुरुषों और महिलाओं के बीच दोस्ती और प्यार

प्रश्नः

मैं पंद्रह वर्ष का एक युवक हूँ , मैं जानता हूँ कि प्रेमिका रखना परिवार को नष्ट कर सकता है, किन्तु अगर हम चुपके से केवल दोस्ती रखते हैं और हमारे बारे में कोई नहीं जानता है, इस तरीक़े से मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि हम एक साथ रहें और शादी होने तक व्यभिचार का अपराध न करें, तो इस के बारे में क्या विचार है ? क्या प्यार की पुरानी कहानियों में इस तरह का कोई मामला पाया जाता है ?

उत्तरः

सर्व प्रथम :

प्रेमिका रखना केवल परिवार ही को नष्ट करने वाला नहीं है, बल्कि वह समाज के समाज को नष्ट करने वाला है, और ऐसा करने वालों को अल्लाह तआला की यातना, उस के क्रोध और उस के इंतिक़ाम की धमकी है, प्यार एक बीमारी है जो प्रेम करने वालों के दिलों को नष्ट कर देती है, और उन्हें अनैतिकता (व्यभिचार) और बुराई तक खींच कर ले जाती है, और शैतान निरंतर अपने जालों और फन्दों को लगाता रहता और रास्ता सरल बनाता रहता हैं यहाँ तक कि अनैतिक कार्य (व्यभिचार) हो जाता है और इस तरह हर एक अपने साथी से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है।

तथा इस काम में बहुत सारी वर्जनायें और खराबियाँ है, जैसे कि लोगों की इज़्ज़त व आबरू (सतीत्व, सम्मान) पर अतिक्रमण करना, विश्वास घात, विप्रीत लिंग के एक सदस्य के साथ एकांत में रहना, स्पर्श, चुंबन, अनैतिक और अश्लील शब्द बोलना, फिर सब से बड़ी बुराई जो इस रास्ते के अंत में होती है वह घोर पाप व्यभिचार (ज़िना) है।

प्रश्न करने वाले का यह कहना कि : ''हमारे बारे में कोई नहीं जानता है।'' एक अजूबा (अद्भुत बात) है, क्या वह अपने सर्व शक्तिमान पालनहार को भूल गया जो रहस्य और अधिक से अधिक छुपी हुई चीज़ को जानता है, तथा वह आँखों की खियानत (चोरी) और सीनों की छुपी हुई बातों को भी जानता है ?

अतः मेरे प्रश्नकर्ता भाई आप को सलाह है, जबकि आप अभी अपनी जवानी की शुरूआत में हैं, कि आप अपने नफ्स पर ध्यान दें और उस को

अल्लाह तआला के आज्ञा पालन और इस बात पर प्रशिक्षण दें कि अल्लाह तआला उस का निरीक्षण कर रहा है, और लोगों की मर्यादा और सतीत्व के विषय में अल्लाह तआला से भय करें, और उस दिन के लिए कार्य करें जिस में आप अपने पालनहार से अपने कर्मों के साथ मुलाक़ात करेंगे, तथा आप दुनिया और आखिरत की रूसवाई (भर्त्सना) को न भूलें, और इस बात को अच्छी तरह जान लें की आप की भी बहनें हैं, और आप की भी पत्नी और बेटियाँ होंगी, तो क्या आप उन में से किसी के लिए वह चीज़ पसंद करेंगे जो आप मुसलमानों की बेटियों के साथ कर रहे हैं ? इस का एक मात्र उत्तर यही होगा कि कदापि आप इसे पसंद नहीं करेंगे, तो ज्ञात होना चाहिए कि इसी तरह दूसरे लोग भी इसे पसंद नहीं करते हैं। तथा आप इस बात को भी न भूलें कि अपने इन पापों के परिणाम को अपने सर्व शक्तिमान पालनहार की तरफ से सज़ा के तौर पर आप अपने परिवार के कुछ सदस्यों में देख सकते हैं।

आप अच्छे और नेक लागों की संगत अपनायें, अपने आप को ऐसी चीज़ों में व्यस्त रखें जिन्हें अल्लाह तआला पंसद करता और प्रसन्न होता है, तथा आप महान और ऊँची बातों पर ध्यान दें और तुच्छ और नीच चीज़ों को परित्याग कर दें, आप को अपनी जवानी को अल्लाह तआला के आज्ञा पालन में, और ज्ञान (शिक्षा) प्राप्त करने और अल्लाह की तरफ दावत देने में व्यय करना चाहिए, और आप को मालूम होना चाहिए कि आप की आयु में बल्कि इस से भी कम आयु में ऐसे लोग थे जो कुरआन को कंठस्थ करते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और इस्लाम धर्म में प्रवेश करने की दावत देने वाला (उपदेशक) बनाकर भेजते थे।

हम आप को एक नेक और धर्म निष्ठ महिला से शादी करने की सलाह देते हैं जो आप के लिए आप के धर्म की रक्षा करेगी और आप को अल्लाह की शरीअत की पाबंदी (पालन) करने पर प्रोत्साहित करेगी, तथा आप के लिए आप के बच्चों की देखभाल करेगी और नैतिकता, शिष्टाचार और धर्म निष्ठता पर उन का पालन पोषण करेगी। और आप उस महिला को छोड़ दें जो अपने लिए एक ऐसे अजनबी मर्द के साथ बाहर निकलना पसंद करती है जिस से उस का मिलना और उस के साथ बातचीत करना हराम (वर्जित) है, और जो महिला आज अपने लिए इस बात पर सहमत है तो उसे भविष्य में ऐसा करने से कौन सी चीज़ रोक सकेगी ?

तथा आप इस बात को याद रखें कि आप इस तरह के गुनाहों जैसे कि परायी महिला के साथ एकांत में होने, मुलाक़ात करने, बातचीत करने और इस के बाद इस से भी अधिक गंभीर पाप को करके अपने सर्व शक्तिमान पालनहार को क्रोधित कर रहे हैं।

आप को यह भी पता होना चाहिए कि ज़िना (व्यभिचार) केवल यौनि में ही नहीं होता है, बल्कि आँख भी ज़िना करती है, कान भी ज़िना करता है, हाथ भी ज़िना करता है और पैर भी ज़िना करता है जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ऐसा प्रमाणित हैं, और ये सब यौनि के व्यभिचार के लिए रास्ता सहज करते हैं, इसलिए शैतान आप को धोखा में न डाले, क्योंकि वह आप का दुश्मन है आप के लिए बुराई और खराबी ही चाहता है और आप को अनैतिक कार्य और बुराई करने का आदेश देता है।

शैख मुहम्मद सालेह अल उसैमीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं :

''दो प्रेमियों के बीच अवैध तरीक़े से संपर्क का होना एक आपदा है, अतः इस स्थिति में यह वैध नहीं है कि पुरूष स्त्री से संपर्क स्थापित करे, और स्त्री पुरूष से संपर्क स्थापित करे, और वह यह कहे कि वह उस महिला से विवाह करने की इच्छा रखता है, बल्कि उसे चाहिए कि उस महिला के वली (अभि भावक) को सूचित करे कि वह उस औरत से शादी करना चाहता है, या वह महिला ही अपने वली को बतलाये कि वह उस आदमी से शादी करना चाहती है, जैसाकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था जिस समय उन्हों ने अपनी बेटी हफ्सा की शादी के लिए अबू बक्र और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा से पेशकश किया था।

किन्तु जहाँ तक स्वयं औरत के सीधे मर्द से संपर्क साधने की बात है तो यह फित्ने (प्रलोभन) का स्रोत है।

''अस्इल–तुल बाबिल मफ्तूह'' (प्रश्न संख्या : 868)

दूसरा :

जहाँ तक आप के इस प्रश्न का संबंध है कि क्या इस प्रकार के अवैध संबंध प्यार की पुरानी कहानियों में पाये जाते हैं, तो पिछले लोगों के यहाँ इन चीज़ों के पाये जाने से किसी शरई हुक्म पर तर्क स्थापित करना संभव नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ के हराम या वैध होने से संबंधित शरई फैसलों (अहकाम) को पवित्र कुरआन और हदीस के शरई प्रमाण और उस में पाये जाने वाले आदेश या प्रतिषेद्ध से ही लिया जा सकता है।

ये कहानियाँ कुछ ऐसे लोगों के बारे में उल्लेख की गयी हैं जो इस्लाम से पहले थे जैसे कि अन्तरह वगैरा, और इस तरह की कहानियाँ तो अन्य सभी संस्कृतियों में भी पाई जाती हैं जैसेकि यह बात अच्छी तरह जानी

जाती है। लेकिन इस से कोई शरई हुक्म (धार्मिक प्रावधान) निकालना संभव नहीं है इसलिए कि इस्लाम नफ्स को उस की शहवत (इच्छाओं) के नियंत्रण से निकाल कर सर्व संसार के पालनहार की गुलामी और उपासना के प्रति प्रस्तुत करने के लिए आया है।

हम अल्लाह तआला से आप के लिए मार्गदर्शन और तौफीक़ (सक्षमता) का प्रश्न करते हैं।

इस्लाम प्रश्न और उत्तर